

## प्रेस विज्ञप्ति

माननीय उपराज्यपाल, अण्डमान तथा निकोबार द्वीप समूह निम्नलिखित सदस्यों को शामिल करते हुए शिक्षा का अधिकार संरक्षण प्राधिकरण का गठन करते हैं :-


- |       |   |            |
|-------|---|------------|
| (i)   | श्रीमती वीना पारेख (पूर्व प्रधानाचार्य, शिक्षा विभाग)   | अध्यक्ष    |
| (ii)  | डॉ.(श्रीमती) निरुपमा रथ, सहायक प्रोफेसर, शिक्षण मनोविज्ञान विभाग, टैगोर राजकीय शिक्षा महाविद्यालय, पोर्ट ब्लेयर | सदस्य      |
| (iii) | डॉ. एम.के.साहा, चिकित्सा अधीक्षक, जी.बी.पंत अस्पताल, पोर्ट ब्लेयर   | सदस्य      |
| (iv)  | सहायक शिक्षा निदेशक (प्रशासन), शिक्षा निदेशालय  | सदस्य सचिव |

2. यह प्राधिकरण शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 में अधिकारों के हितों के लिए किए गए प्रावधान की जाँच तथा समीक्षा करेगा तथा प्रभावकारी कार्यान्वयन के लिए कार्यवाही की सिफारिश करेगा। यह प्राधिकरण अ.तथा नि.द्वीप समूह में बच्चों को मुफ्त तथा अनिवार्य शिक्षा से संबंधित शिकायतों की जाँच पड़ताल करेगा।

## PRESS NOTE

- The Hon'ble Lt. Governor, A & N Islands has been pleased to constitute the Right to Education Protection Authority (REPA) comprising the following members.
  - Smti. Veena Parekh (Ex-Principal, Department of Education) Chairperson
  - Dr. (Mrs.) Nirupama Rath. Asst. Professor, Department of Educational Psychology, TGCE, Port Blair. Member
  - Dr. M. K. Saha, Medical Superintendent, G.B. Pant Hospital, Port Blair Member
  - Asst. Director of Education (Admn), DE's Office Member Secretary
- The Authority shall examine and review the safeguards for rights provided under RTE Act, 2009 and recommend measures for their effective implementation. It shall inquire into complaints relating to child's right to free and compulsory education for A & N Islands.

\*\*\*\*\*

  
[Dr. M. Aywaraju]

Asst. Director of Education (Admn)